न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 129 /2020

निर्णय दिनांकः– 01.04.2021

उनवान

1. रामपाल पुत्र बद्री जाति माली निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. रतनी पत्री बद्री जाति माली निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गिर्राज पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
2. औमप्रकाश पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
3. धर्मराज पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
4. गंगाधर पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
5. बलराम पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
6. मनोज पुत्र गंगाधर जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
7. हंसराज पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)
8. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री रामकिशन सैनी वकील प्रार्थीगण

2. श्री इकबाल अहमद वकील प्रतिपक्षीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण के संयुक्त एवं कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 205 ख0न0 736/0.65, 742/0.75, 748/1.71, 749/0.55, 750/1.09, 753/0.82, 760/0.72, 761/0.35, 788/0.56, 796/0.57, 799/0.23 कुल किता 11 कुल रकबा 8.00 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का निरंतर बिना किसी बाधा के कब्जे काश्त चला आ रहा है

प्रार्थीगण के खातेदारी का उक्त वर्णित आराजी से प्रतिपक्षीगण का दूर का भी कोई लेना देना या संबंध नही है। परन्तु प्रतिपक्षीगण गिरोहबंद व बदमाश किश्म के व्यक्ति है तथा अपनी राजनैतिक पहुच का नाजायज फायदा उठाकर जबरन प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ख0न0 788 रकबा 0.56 है0 को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थीगण के खातेदारी के मध्य से रास्ता निकालने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

F. FESLA 8

यह कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण गंगाधर व गिर्राज के खातेदारी की भूमि के मध्य आराजी ख0न0 524 है, जो गे.मु.नाला है तथा इसी मे होकर आने जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त गे.मु. नाले के रास्ते पर कब्जा करते हुए अपनी खातेदारी की भूमि मे मिला ली तथा तहसीलदार उनियारा के यहा प्रार्थीगण की झूठी शिकायत पेश कर जबरन प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ख0न0 788 मे मध्य होकर जबरन रास्ता निकालना चाहते है।

अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 788 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की मजाहेमत व मदाखलत नही करे, ना ही काश्त मे बाधा डाले, ना भूमि मे होकर किसी प्रकार का रास्ता ही निकाले, ना तो स्वयं ही करे और ना ही अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गयां

प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेजों की सूची में आदेश दिनांक 12.02.2021 के निर्णय की प्रति एवं नकल मौका रिपोर्ट पेश किया ।

उभय पक्षों के विद्धान वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण के विद्वान के वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी का उक्त वर्णित आराजी से प्रतिपक्षीगण का दूर का भी कोई लेना देना या संबंध नही है। परन्तु प्रतिपक्षीगण जबरन प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ख0न0 788 रकबा 0.56 है0 को खुर्द बुर्द करने व प्रार्थीगण के खातेदारी के मध्य से रास्ता निकालने पर आमादा है, जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण गंगाधर व गिर्राज के खातेदारी की भूमि के मध्य आराजी ख0न0 524 है, जो गे.मु.नाला है तथा इसी मे होकर आने जाने का रास्ता बना हुआ है, लेकिन प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त गे.मु. नाले के रास्ते पर कब्जा करते हुए अपनी खातेदारी की भूमि मे मिला ली तथा तहसीलदार उनियारा के यहा प्रार्थीगण की झूठी शिकायत पेश कर जबरन प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ख0न0 788 मे मध्य होकर जबरन रास्ता निकालना चाहते है। अतः दिनांक 31.08.2020 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावें कि वह वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 788 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में किसी प्रकार की मजाहेमत व मदाखलत नही करे, ना ही काश्त मे बाधा डाले, ना भूमि मे होकर किसी प्रकार का रास्ता ही निकाले, ना तो स्वयं ही करे और ना ही अन्य किसी प्राधिकृत व्यक्तियों के द्वारा करावे।

प्रतिवादीगण के वकील ने अपनी तर्क पूर्ण बहस मे कथन किया कि प्रतिपक्षीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 523 रकबा 0.32 है वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा मे स्थित है, जिस पर आने जाने के लिए प्रार्थीगण के खातेदारी की भुमि ख0न0 788 रकबा 0.56 है0 व रामबिलास व रामकिशन के पिता रघुनाथ कलाल निवासी अलीगढ के खातेदारी की भूमि ख0न0 789 की मेड पर बने कदीमी रास्ते पर होकर अपने पूर्वजो के समय से आते जाते है। उक्त कदीमी रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा बन्द करने की कोशिश की गई थी, जिसको तहसीलदार उनियारा के आदेश कमांक/राजस्व/2020/626 दिनांक 08.08.2020 की पालना मे दिनांक 12.08.2020 को राजस्व टीम सहित मोके पर पहुचकर ख0न0 788 व 789 की

TI. TESLA.9

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

मेड पर दोनो निशानात लगाकर रास्ता खुलासा करवाया गया था। तथा उक्त ख0न0 523 के लिए न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.2021 को ख0न0 788 व 789 की मेड से रास्ता दिया गया हैं । प्रार्थीगण दावे की आड मे हमारे रास्ते को बन्द करना चाहते है। अतः प्रतिपक्षीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारिज फरमाया जावे। प्रतिपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दस्तावेजों की सूची में आदेश दिनांक 12.02.2021 के निर्णय की प्रति एवं नकल मौका रिपोर्ट पेश किया ।

हमने वकील उभय पक्षों की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। वादग्रस्त आराजी भूमि ख0न0 788 रकबा 0.56 है0 वाके ग्राम बामनिया प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी हैं। ख0न0 788 के वर्तमान मे प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। जिसमें से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रा0पत्र में न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.02.2021 को ख0न0 788 व 789 की मेड से ख0न0 523 तक पहुचने के लिए रास्ता दिया गया हैं, जिसका रिकार्ड एवं मौके पर अमल दरामद होना आवश्यक है।

अतः तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में पूर्व में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए प्रा0 पत्र के निर्णय के अनुसार रास्ते का रिकार्ड एंव मौके पर अंकन करें।

वादग्रस्त आराजी ख0न0 788 में रिकार्ड एंव मौके पर रास्ते के अमल दरामद के उपरान्त शेष भूमि पर दिनांक 31.08.2020 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी से निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे पत्रावली फैसलसुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ सलंग्न की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा, जिला टोंक

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक